न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 2/2015

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री भैरूलाल
2. श्री रामदेव
3. श्री जीवराज
   पुत्रगण श्री सूवालाल
   समस्त जाति तेली निवासीगण ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदेव, जाति चमार, निवासी ग्राम जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री अजीत सिंह राठौड, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2 श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील ।

–: आदेश :–

दिनांक 06.05.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 20.06.2002 को ग्राम जामोला में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदेव के पक्ष में ग्राम जामोला के आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 3 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तू जवाब नोटिस पेश नहीं

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया। बहस हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, निरूम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307, 308, 310, 311, 313 एवं 314 ग्राम जामोला में अवस्थित है उक्त भूमि के मध्य खसरा नम्बर 312 सिवायचक आराजियात किस्म बंजड अवस्थित हे। विवादित भूमि से लगते हुए प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 307, 308, 310, एवं 311 एवं विादित भूमि के दक्षिण दिशा में लगते हुए प्रार्थी संख्या 2 व 3 के खेत खसरा नम्बर 313 एवं 314 अवस्थित है। उन्होंने कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कदीमी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पशु चरते आये है एवं अपनी खातेदारी के खेतों पर हुई फसल विवादित भूमि पर एकत्रित कर खलिहान के रूप में उपयोग कर अनाज निकालते है तथा चारा व रोडी डालते हे। इस प्रकार कृषि के सहायक कार्यो में वर्षो से प्रयोग करते आ रहे है। वकील प्रार्थीगण का आगे कथन है कि आवंटी द्वारा विवादित भूमि का आवंटन पश्चात न तो कभी कब्जा प्राप्त किया गया न ही राजस्व एजेन्सी द्वारा कभी आवंटी को कब्जा सौंपा गया। विवादित भूमि रेकार्ड में बंजड दर्ज है जो पथरीली है जिसमें काश्त संभव नहीं है मात्र वर्षा ऋतु में घास उत्पन्न होती है जिस पर प्रार्थीगण के मवेशी कदीम से चरते चले आ रहे है, ऐसी भूमि का आवंटन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2013(1) पेज 166 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन पश्चात विवादित भूमि पर आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया गया है जो खसरा गिरदावरी संवत 2055–58, 2059–62 व 2063–66 के अवलोकन से स्पष्ट है। विवादित भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 का पुराना कब्जा काश्त होने की पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2041 से होती है। उन्होंने कथन किया कि कृषि भू आवंटन की शर्तो अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाता है। उपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.B.J. 1998 पेज 622 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का आवंटन तथ्यों को छिपाकर गुपचुप तरीके से अपने पक्ष में करवा लिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन झूठे एवं बेबुनियाद है। उनका कथन है कि अप्रार्थिया के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात पुराने कब्जे

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

काश्त के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 का कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा है जिसमें से 3 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में एवं शेष भूमि का आवंटन श्रीमति सजनी के पक्ष में किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि किस्म बंजड है जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमि बरानी–3 काबिल काश्त दर्ज है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थिया का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अप्रार्थिया का विवादित भूमि पर आवंटन पश्चात निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटी द्वारा भूमि को काफी मेहनत व धन राशि खर्च कर काबिल काश्त बनाया है एवं फसल काश्त की जा रही है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2070–73 से स्पष्ट है उक्त वर्षो में आवंटी द्वारा फसल गवार व मुंग काश्त की गई है। वकील अप्रार्थिया ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन दिया कि अप्रार्थिया द्वारा काश्त फसल जब प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई अथवा फसल खराब हुई तो राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि अदा की गई है। अप्रार्थिया अनुसूचित जाति की विधवा महिला है जबकि प्रार्थीगण का लम्बा चौडा परिवार है तथा अपने धन बल से अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित भूमि को हडप करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थिया को विवादित भूमि पर जाने के रास्ते को भी रोक कर बंद कर दिया है तथा पटवारी हल्का से मिलकर अप्रार्थिया के पक्ष में विवादित भूमि की खातेदारी भी दर्ज नहीं होने दे रहे है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि नियम 14 (3) के अन्तर्गत आवंटन के प्रथम वर्ष में 1/2 भाग पर तथा दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में इस शर्त को विलोपित कर दिया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो झूठ एवं कपटपूर्वक, तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हो। जबकि अप्रार्थिया द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की जा रही है तथा रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल कपटपूर्वक करवाया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पूर्णतय नियमानुसार किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया हो प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर उनका कदीमी समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। हम वकील अप्रार्थी संख्या 1 के इन कथनों से सहमत है कि नियम 14(3) के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 1/2 भाग पर तथा इसके दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर फसल काश्त करना आवश्यक है। इस शर्त को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विलोपित कर दिया गया है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो Misrepresentation के आधार पर करवाया गया हों। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पुराने कब्जे काश्त के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **06.05.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner